Thirty companies during 1976-77 and twelve companies during 1977-78 were wound up by liquidation proceedings or struck off under Section 560 of the Companies Act The possibility of revival of these Companies appears remote The number of companies at work in the State of Gujarat as on 31st March, 1978 was 2410

There are provisions in the Companies Act which enable the Government to keep a watch on the working of the companies including their development along right lines The Central Gove nment inspect the books of account of the companies under Section 209A directors where necessary special audit under Section 233A and orders investigation into the affairs of the companies and Section 237 as required The Central Government has also powers under Section 408 of the Companies Act to appoint Government director in companies in order to prevent oppression or mismanagement

The Central Government has also powers under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 to take over the managemen of industrial undertakings if it is satisfied that the undertaking is being managed in a manner highly detrimental to the interests of the industry or to the public interest During the year 1977 the management of two industrial undertakings were taken over by the Central Government in Gujarat under this Act

गुजरात राज्य में कम्पनियां

8114. श्री अमर सिंह वी० राठवा : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गुजरात में कम्पनियों की कुल संख्या क्या है और उनके भागीदारों/शेयर होल्डरों के नाम क्या हैं और इस बारे में पूरा ब्यौरा क्या है ,

(ख) क्या इन कम्पनियों का न्यास बनाने का प्रस्ताव है जिससे गांधी विचार-धारा के अनुरूप श्रमिकों को कम्पनियों में प्रतिनिधित्व दिया जा सके और यदि हां तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और

(ग) इन कम्पनियों में श्रमिकों का श्रेणीवार कितना वेतन दिया गया ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ती भूषण) (क) 31-3-78 तक गुजरात राज्य में शेयरों द्वारा लिमिटेड 2410 कम्पनियां कार्यरत थी। कम्पनी के शेयरधारियों की सूची कम्पनी रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत वार्षिक विवरणी में दी गई है। यह सूची जनता के किसी भी व्यक्ति द्वारा नाममात्र फीस देने पर निरीक्षण के लिए खुला है। चूंकि कम्पनी के शेयरधारियों की सूची बहुत ही लम्बी है इसलिए सभी 2410 कम्पनियों की इस प्रकार की सूची प्रस्तुत करना व्यवहार्य नही है।

(ख) सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 और एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम 1969 की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का सदर्भित शर्तों में से एक यह है कि कम्पनियों की शेयर पूंजी और प्रबन्ध में मजदूरों के भाग लेने पर विचार करना। इस संबंध में समिति के प्रस्तावों पर समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् सरकार द्वारा विचार किया जायगा।

(ग) क्योंकि कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी कार्य विभाग को इस प्रकार की सूचना कम्पनियों द्वारा देना अपेक्षित नहीं है इसलिए कम्पनी कार्य विभाग द्वारा यह सूचना प्रस्तुत नही की जा सकती है।